न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :— इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 35/2016/टीए

1. देवीलाल पिता रूपा जाट
2. फेफी बेवा रूपा जाट
   दोनो निवासी नीमडीखेडी तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़

—अपीलान्टस

बनाम

1. औकारसिंह पिता मानसिंह राजपूत
2. भंवरसिह पिता भेरूसिह राजपूत
   दोनो निवासी नीमडीखेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
3. बडौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैक शाखा साडास तहसील गंगरार
4. राज्य जरिये तहसीलदार, गंगरार जिला चित्तौड़गढ़

—रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, गंगरार
दिनांक 28.04.2016 प्रकरण सं. 233/2015

उपस्थित — 1. श्री चम्पालाल जाट — अभिभाषक अपीलान्टस
2. श्री के.जी. झंवर— अभिभाषक रेस्पोडेन्ट—1
3. श्री नागेन्द्रसिह झाला — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट—2

निर्णय

दिनांक— 27.03.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि अपीलान्ट की खातेदारी की भूमि ग्राम नीमडीखेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ की आराजी नम्बर 31 रकबा 0.99 है0 पर रेस्पोडेन्ट 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन के अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत आराजी नम्बर 31 मे रकबा 4.5 बाई 50 कुल 230 वर्गमीटर रास्ता कायम किया जिससे असंतुष्ट होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है।

2. अपीलान्ट द्वारा विपक्षी नम्बर 1 के आवेदन का अधीनस्थ न्यायालय मे जवाब प्रस्तुत किया गया। जवाब की चरण संख्या 3 मे रेस्पोडेन्ट का सजरा प्रस्तुत किया कि प्रार्थी भेरूसिंह श्री मानसिंह जी का पुत्र है एवं मानसिंह जी के औकारसिंह के अलावा रामसिंह, भेरूसिंह का पुत्र है। भेरूसिंह के शम्भुसिंह भंवरसिंह दौलतसिंह छोटुसिंह पुत्र है। रेस्पोडेन्ट

नम्बर 1 स्वंय राजकीय सेवा मे अध्यापक के पद स पेन्शनर है। बडा पुत्र भंवरसिंह रिटायर्ड तहसीलदार है एवं छोटा पुत्र पुलिस उपनिरीक्षक है। इस आदेश से पूर्व 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का निर्णय अपीलान्ट के विरूद्ध किया। आराजी नम्बर 30 व 31 पर पहूॅचने से पूर्व ही रेस्पोडेन्ट की आराजीयात प्रारम्भ हो जाने के बावजूद कायम किया। यह रास्ता 30 फीट चौडा कायम किया। राजस्व मण्डल मे इस रास्ते को 30 फीट से 15 फीट चौडा किया। अपीलान्ट ने माननीय सिविल कोर्ट मे उक्त अवैध आदेश को निरस्त किये जाने हेतु वाद प्रस्तुत किया। इसी दौरान नवीन पत्रावली कायम कर यह आदेश पारित किया जो पूर्णतया अवैध है। राजस्व रिकार्ड देखने से स्पष्ट है कि औकारसिंह की आराजी नम्बर 29 जिसके गत भू–प्रबन्ध के आराजी नम्बर 26 व 27 पी है एवं नवीन आराजी नम्बर 95 के गत भू–मान के नम्बर 28 एवं आराजी नम्बर 93 के गत भूमाप व नम्बर 61 है। गत भूमाप की आराजी नम्बर 28 मानसिंह की खातेदारी व जागीर मे थी। ऊंकारसिह एवं मानसिंह पिता पुत्र होकर एक ही परिवार के है। स्पष्ट है आपीलान्ट की आराजीयात पर कोई रास्ते की आवश्यकता नही है। फिर भी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत तथ्यो को अनदेखा कर निर्णय पारित किया है जो पूर्णया विधि के विरूद्ध है। प्रार्थी की आराजी नम्बर 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,28, 29 एवं 98 कुल रकबा 15 रकबा 12.16 है0 एवं भंवरसिंह भेरूसिंह की आराजी 90 से 97, 111/1, 117 व शम्भूसिंह पिता भेरूसिंह की आराजी नम्बर 112, 113, 114, 115 से लगाकर 124 व 131, 166/2, 167/2, 168/2 व दौलतसिंह पिता भेरूसिह की आराजी नम्बर 100, 110, 111/2, 116/1 समस्त मानसिह की खातेदारी मे संवत् 2087 मे थी, उसके बाद औकारसिंह, रामसिंह, भेरूसिंह के नाम आई। सभी आराजीयात एक ही चक मे है। इनका आपसी विवाद है। अपीलान्ट की जमीन पर कभी होकर नही गये। अपीलान्ट का स्पष्ट कथन रहा है कि उपरोक्त सभी आराजीयात एक ही चक मे है। पूर्व दिशा मे आम रास्ता है दक्षिण व पश्चिमी दिशा पर रास्ता है विपक्षी अपनी आराजीयात पर सुसमता से पहुंचता है। आराजी नम्बर 93,94,29 एक ही चक मे मिली हुई है। आराजी नम्बर 94 मानसिंह की थी जो औकारसिंह के पिता है। 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रमाणित नही है। विपक्षी के जवाब पर कोई विचार नही किया। कोई शाहदत का अवसर नही दिया। तहसीलदार मौके पर आए ही नही। माननीय राजस्व मण्डल का निर्णय 28/12/2015 अनुसार 35 फीट को 15 फीट चौडा किया पुनः इस आदेश द्वारा 20 फीट चौडा किया गया जबकि सम्पूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलने वाली हो

तब भी अधिकतम 10 फीट की आवश्यकता से अधिक रास्ते की आवश्यकता नही है। अतः निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने बयान किया कि रेस्पोडेन्ट को खेत पर जाने के लिये 3 रास्ते पहले से ही है। दो तरफ चारागाह है तीसरी तरफ सगे भाई का खेत है जिसमे से रेस्पोडेन्ट को रास्ता मांगना चाहिये। मौका रिपोर्ट अपीलान्ट की अनुपस्थिति मे बनाई गई है। यह प्रकरण सिविल न्यायालय मे भी दर्ज हुआ जहां आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत कार्य क्षैत्र से बाहर होने के कारण वाद खारीज हुआ है। खसरा नम्बर 109 मे रिकार्ड मे रास्ता पहले से ही उपलब्ध है। जिरह के लिये अधीनस्थ न्यायालय मे उन्हे मौका नही दिया गया है क्योकि रेस्पोडेन्ट प्रभावशाली व्यक्ति है। उक्त प्रकरण लोक अदालत मे निर्णित किया गया है जो न्यायोचित नही है। इस सम्बन्ध मे उनके द्वारा 2016 (2) आरआरटी पेज 1281, 2016(1) आरआरटी पेज 440 की नजीरे पेश की है तथा मांग की गई कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

4. दौराने बहस वकील रेस्पोडेन्ट ने बयान किया कि दिनांक 28/04/2016 को वकील उभयपक्ष उपस्थित रहे है। लोक अदालत मे दोनो पक्षो की मौजुदगी मे न्यायालय परिसर मे निर्णय पारित किया है। अपील की कलम संख्या 3 मे जो रास्ता माननीय राजस्व मण्डल मे तय हो चुका है तथा जिसका पैसा कोर्ट मे जमा हो चुका है वह अब परिवर्तित नही किया जा सकता है क्योकि माननीय राजस्व मण्डल का निर्णय **Finality** ले चुका है जिसकी अपील आज तक अपीलार्थी द्वारा नही की गई है। अपीलार्थी द्वारा सिविल कोर्ट मे प्रस्तुत वाद भी दिनांक 7/12/2016 को खारीज हो चुका है। जिन 3 रास्तो का उल्लेख किया जा रहा है उसका रिकार्ड पेश नही किया है। रेस्पोडेन्टस ने आपसी जमीन के बीच मे भी रास्ता मंजुर करवाया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत होने के कारण अपील अपीलार्थी खारीज होने योग्य है।

5. बहस उभयपक्ष सुनी गई एवं मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया जिससे यह तथ्य निर्विवादित है कि अपील की कलम संख्या 3 मे जो रास्ता माननीय राजस्व मण्डल मे तय हो चुका है तथा जिसका पैसा कोर्ट मे जमा हो चुका है वह अब परिवर्तित नही किया जा सकता है क्योकि माननीय राजस्व

मण्डल का निर्णय **Finality** ले चुका है जिसकी अपील आज तक अपीलार्थी द्वारा नही की गई है। ऐसी सूरत मे अपील अपीलार्थी खारीज होने योग्य है। फलतः अपील अपीलान्ट खारीज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगरार द्वारा प्रकरण संख्या 35/2016 मे पारित निर्णय दिनांक 28/04/2016 को यथावत रखा जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़